सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वर्ष 1 अंक 3 | मार्च 1979 | पचास पैसे

अगर 31 मार्च तक मांगें स्वीकार नहीं की गई तो

कोयला मजदूरों का और जबरदस्त संघर्ष होगा

छः लाख कोयला खदान मजदूरों ने 5 फरवरी को अपनी एक दिन की पूरी हड़ताल से कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.), निजि क्षेत्र के प्रबंधकों और दिल्ली के नौकरशाहों को यह दिखा दिया है कि भविष्य में कोयला खदान मजदूर निर्वाह के लिए कम वेतन स्तर और काम की चिंताजनक हालतों को बर्दाश्त नहीं करेगा.

प्रबंधकों की हड़ताल को तोड़ने की व्यापक कोशिशों के बावजूद हड़ताल को पूरी सफलता मिली. खदानों में तो काम की बात दूर रही दफ्तरों और वायरलेस, टेलीफोन, टेलेक्स व विश्रामघरों में श्रमिक काम पर नहीं गए. विभिन्न कोलियरियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हड़ताल शत प्रतिशत थी और मजदूरों व कर्मचारियों में विशेष उत्साह देखा गया. कोल उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी की सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, सी. आई. टी. यू., एटक, एच. एम. एस., बी. एम. एस. व इंटक ने एक जुट होकर हड़ताल का आह्वान किया था जिससे आम मजदूरों में जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ.

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने द्विपक्षीय वार्ता में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज व केन्द्रीय सरकार की दखल-अंदाजी तथा प्रबंधकों की अड़ियल नीति के खिलाफ संघर्षरत कोयला खदान मजदूरों को उनकी अखिल भारतीय हड़ताल के लिए सीटू की ओर से बधाई दी. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की इस एकता से कोयला खदान मजदूरों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि हालत की गम्भीरता को मध्येनजर रखते हुए सरकार मांगों पर शीघ्र फ़ैसला करने के लिए समझौता वार्ता में अपना रवैया बदलेगी. नहीं तो मजदूर अपनी मांग पाने के लिए और शक्तिशाली संघर्ष करेंगे.

मजदूरों की शक्ति व भावनाओं को मध्येनजर रखते हुए कोयला उद्योग के प्रबंधकों व ऊर्जा मंत्रालय को चाहिए था कि वे द्विपक्षीय समझौता वार्ता में अपने रवैये को बदलते ताकि मजदूरों की मांगों पर जल्दी से जल्दी फैसला होता.

लेकिन सी. आई. एल. के मुख्य कार्यालय, कलकत्ता, में 15 व 16 फरवरी को हुई समझौता वार्ता ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि प्रबंधक अभी भी सरकारी आदेशों की रूप रेखा में ही बात कर रहे हैं.

प्रबंधकों ने पहले बुनियादी वेतन व मंहगाई भत्ते में 26 रुपये की बढ़ोत्तरी की बात कही थी, लेकिन वार्ता के दौरान इसमें केवल मामूली सुधार पेश किया गया. प्रबंधकों ने भूमिगत भत्ते को 10 की बजाय 12.5 प्रतिशत करने, हर साल 10 000 मकान बनवाने, जिनको मकान प्राप्त नही होंगे उन्हें 15 रुपये प्रति मास किराया भत्ता देने (अन्य सार्वजनिक उद्योगों में वेतन का कम से कम 7% किराया भत्ता के रूप में दिया जाता है), हर घर में चार साल के अन्दर पानी की सुविधा देने, जहां हो सकता है उन घरों में बिजली पहुंचाने, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और 3-4 दिन की आकस्मिक छुट्टी देने की बात कही.

मांग पत्र में दी गई कई जरुरी मांगों पर प्रबंधकों ने अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी. बात करने के लिए तो वे माने लेकिन मांगों को स्वीकार करने के लिए नहीं.

इसलिए कोयला खदानों में सीटू को यूनियनों की कोआर्डिनेशन कमेटी ने प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया है. पांच मार्च को पूरे देश में 31 मार्च से पहले फैसला कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. 31 मार्च से पहले

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

लोको कर्मचारियों पर जुल्म बंद करो

लोको रनिंग कर्मचारी, ट्रेक्शन कर्मचारी व स्टेशन मास्टरों की रेलवे ट्रेड यूनियनों के कई कार्यकर्त्ताओं को पिछले तीन महीनों में रेलवे एस्टेब्लिश्मेंट कोड के नियम 14 (ii) के तहत विक्टिमाइज किया गया. यह नियम कर्मचारी को अपने बचाव के लिए कोई मौका नहीं देता है. इसके अलावा अनेक कर्मचारियों पर बदली आदेश थोंप दिए गए है. उत्तर पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे में इस बाबत हालत तनावपूर्ण है. इन रेलवे के महा प्रबंधकों के सामने बार-बार प्रदर्शन हुए हैं.

लोको कर्मचारियों की समस्या और भी गंभीर है. 1973 में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और रेलवे अधिकारियों के बीच समझौता हुआ था. इसके तहत यह फैसला लिया गया था कि लोको कर्मचारियों का काम एक दिन में दस घंटे से ज्यादा नहीं होगा. लेकिन इस फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया है.

समझौते के तहत एक शिकायत कमेटी बनाई गई थी जिसके माध्यम से अधिकारियों के साथ बातचीत होती थी. इस कमेटी की इमरजेंसी से पहले जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल नहीं किया जा रहा है. रनिंग भत्ते, सुविधाओं व भत्तों की सुरक्षा, चिकित्सा कारणों से दूसरी श्रेणी में भेज दिए गए कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी आदि की मांगों पर फैसला नहीं लिया गया है. और लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के कार्यकर्त्ताओं का हमले का खास मोहरा बनाया जा रहा है.

रेलवे में मौजूदा हालातों की गंभीरता को मध्येनजर रखते हुए सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने रेल मंत्री श्री मधु दंडवते को एक पत्र लिखा है.

उन्होंने लिखा है कि यह बहुत ही दुख की बात है कि एसोसिएशन की कोशिशों के बावजूद रेलवे बोर्ड के गलत रवैये के कारण इन जरूरी मांगों पर अभी तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है. कामरेड रणदिवे ने कहा कि आपके (श्री दंडवते) इस बयान के बावजूद कि 10 घंटे के काम को लागू करने के लिए 2700 नए आदमी रखे जाएंगे, रेलवे बोर्ड के अधिकारी आप द्वारा दिए गए आश्वासन पर अमल न करने का साहस कर रहे हैं.

उन्होंने चितरंजन लेबर यूनियन को रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के तहत अभी तक मान्यता न देने पर, हालांकि कर्मचारियों का बहुमत इस यूनियन के साथ है, अपना आश्चर्य जाहिर किया है. इसी तरह लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को भी मान्यता नहीं ही गई है. यह यूनियन लोको रनिंग स्टाफ का नेतृत्व करती है. वास्तविकताओं को मान्यता देनी हो होगी.

कामरेड रणदिवे का मधु दंडवते को पत्र लिखने का मौजूदा लक्ष्य लोको स्टाफ का विक्टमाइजेशन बंद कराने और उनकी पिछले समझौते सहित फौरी मांगों के फैसले के लिए रेलमंत्री द्वारा हस्पक्षेप कराने का था. यह गैरजरूरी विवाद से बचने के लिए जरूरी है. उन्होंने आज्ञा प्रकट की कि रेल मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे

आठ मई से नियमानुसार काम का आह्वान

आल इंडिया रेलवे एंप्लाईज कनफेडरेशन के नेतृत्व में रेलवे मजदूरों का एक विशेष सम्मेलन 14 फरवरी को सिकंदराबाद में संपन्न हुआ. इसमें यह फैसला लिया गया कि यदि सरकार ने रेलवे मजदूरों की बोनस सहित अन्य मांगों को नहीं माना तो आठ मई से वे नियमानुसार-काम शुरू करेंगे. कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गर्वनमेंट एंप्लाईज यूनियंस के महासचिव एस. के. व्यास ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और दूसरे वक्ताओं के अलावा कामरेड समर मुखर्जी, एम. पी., ने इसमें भाषण दिया. सम्मेलन ने 1 से 7 मार्च तक मांग सप्ताह मनाने, 24 मार्च को डिवीजनल व जोनल मुख्य कार्यालयों पर 24 घंटों की भूख हड़ताल करने, 10 अप्रैल को क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने और अंत में आठ मई से नियमानुसार-काम करने को फैसले लिए.

रेल मजदूरों की रैली

दक्षिण मध्य रेलवे (एस. सी. आर.) कर्मचारियों ने अपनी यूनियन के महासचिव का. सुबैय्याह के विक्टिमाइजेशन के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया है. उनको महासचिव के रूप में स्वर्गीय कामरेड ए. के. गोपालन, एम. पी. को पत्र लिखने के कारण जबरन रिटायर कर दिया था. विभिन्न यूनियनों के लगभग 200 कर्मचारियों ने डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर के सामने 20 जनवरी को धरना आयोजित किया था. लगभग 1500 कर्मचारियों की रैली भी आयोजित की गई.

इससे पहले 1975 में 6000 रेल कर्मचारियों ने रेल मंत्री को एक संयुक्त विज्ञप्ति दी थी. जिसकी एक प्रतिलिपि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी भेजी गई थी. जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद कामरेड समर मुखर्जी, एम. पी. ने मामले को अपने हाथ में लिया. श्री मधु दंडवते ने इस मामले की खुद छानबीन करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है.

दो केंद्रीय यूनियनों का विलय

हिंद मजदूर सभा और हिंद मजदूर पंचायत आपस में मिल गई हैं और इसका नया नाम हिन्दुस्तानी मजदूर सभा होगा. श्री एस. वेंकटरमन इसके अध्यक्ष और डा. शांति पटेल महासचिव चुने गए हैं. सीटू के महासचिव ने उनको बधाई संदेश भेजा है.

ढाई लाख चटकल मजदूरों की शानदार जीत

पश्चिम बंगाल के लगभग 60 चटकल मिलों के 2.5 लाख चटकल मजदूरों ने अपनी 5 जनवरी से शुरू हुई 50 दिन की लगातार हड़ताल के बाद शानदार जीत हासिल की. चटकल मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी और तदनुसार सुविधाओं की सालाना कीमत लगभग 24 करोड़ रुपये होगी. इमरजेंसी के बाद पश्चिम बंगाल में चटकल मजदूर अपनी वेतन बढ़ोत्तरी व काम की हालतों में सुधार की लंबे अरसे से चली आ रही मांगों के फैसले की मांग कर रहे थे. लेकिन चटकल इजारेदारों ने उचित आधार पर मांगों को मानने से इंकार कर दिया और डेढ़ साल इंतजार करने के बाद चटकल मजदूरों को 5 जनवरी से लगातार हड़ताल शुरू करनी पड़ी. और अंततः इस संघर्ष के कारण चटकल इजारेदारों को मजदूरों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी. त्रिपक्षीय समझौते पर 22 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए जिसको अगले दिन कलकत्ता के शहीद मीनार मैदान में आयोजित एक विशाल सभा में चटकल मजदूरों ने स्वीकार किया.

संघर्ष के कदम

पश्चिम बंगाल में चटकल मजदूरों की 50 दिन की यह लगातार हड़ताल 1969 से अब तक पांचवीं लगातार औद्योगिक हड़ताल है. 1969 में 8 दिनों की लगातार हड़ताल हुई थी जब इन्होंने 30 रुपये प्रति मास वेतन वृद्धि प्राप्त की थी. दिसंबर 1970 में 18 दिनों की लगातार हड़ताल हुई थी और मजदूरों को 2% अतिरिक्त बोनस मिला था. चटकल मजदूरों की लगातार हड़ताल 1974 में 39 दिन और 1975 में 48 दिन तक सफलता पूर्वक चली थी. भारत में चटकल उद्योग में 50 दिन की यह लगातार हड़ताल सबसे लंबी है. पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार की नीतियों के शुक्रगुजार हैं जिसके कारण चटकल मजदूरों के इस हड़ताली संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए पुलिस का एक भी सिपाही नहीं भेजा गया.

हड़ताल से क्या पाया

50 दिन की इस हड़ताल के बाद समझौते के अनुसार चटकल मजदूरों के मासिक वेतन में रुपये 65.27 की बढ़ोतरी हुई है. अब उनका न्यूनतम वेतन रुपये 470.10 है. इसके अलावा, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर 1960 को आधार मानते हुए रु० 1.15 प्रति बिंदु से बढ़ा कर रु० 1.30 हो गया है. हड़ताल से पहले चटकल मजदूरों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता था जो कि पश्चिम बंगाल के मकान किराया कानून के तहत उन्हें मिलना चाहिए था. अब चटकल सामंतों ने चटकल मजदूरों को उनके वेतन के 3.5% की दर से मकान किराया भत्ता देना स्वीकार कर लिया है. ग्रेच्युटी की दर भी बढ़ा दी गई है. पहले चटकल मजदूरों को उनकी नौकरी के हर साल के लिए 13 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जाती थी, अब ग्रेच्युटी नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन के वेतन की दर से अदा की जाएगी. इमरजेंसी के दौरान पश्चिम बंगाल के चटकल मिलों में विक्टिमाइज किए गए ट्रेड यूनियन नेताओं और मजदूरों की भी नौकरी बहाल कर दी गई है. चटकल सामंतों द्वारा चटकल मिलों में 90% स्थाई

[शेष पृष्ठ चार पर]

छापाखानों में हड़ताल समाप्त, मजदूरों ने वाम-मोर्चा व कांग्रेस सरकारों में फर्क जाना

वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के करीब 7,000 युनिटों के लगभग एक लाख छापाखाना मजदूरों ने 13 दिसंबर 1978 से लगातार हड़ताल शुरू की. सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक जुट होकर इस हड़ताल में भाग लिया. हर तरह से यह सम्पूर्ण हड़ताल थी.

कांग्रेस सरकार के अर्ध-फासी आतंक के दिनों में भी दिसंबर 1972 में पश्चिम बंगाल के छापाखाना मजदूरों ने लगातार हड़ताल की थी. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हड़ताल को भारत सुरक्षा कानून (डी. आई. आर.) के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया था और सौलह रूपये महीने की तुच्छ वेतन वृद्धि दी थी. लेकिन यह वृद्धि भी मजदूर नहीं पा सके क्योंकि मालिकों ने हाई कोर्ट जाकर इसको रुकवा लिया था.

इस बार उन्हीं छापाखाना मजदूरों ने पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार के समय में लगातार हड़ताल की शुरू जिसका वाम-मोर्चा सरकार ने पूरा समर्थन किया. इस प्रकार छापाखाना मजदूरों को वाम-मोर्चा सरकार और कांग्रेस सरकार में फर्क मालूम हुआ.

पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार ने छापाखाना मजदूरों की हड़ताल का समर्थन करते हुए मामले में हस्तक्षेप किया. इस हस्तक्षेप के कारण छोटे और मझौले छापाखानों के मजदूरों के लिए जो समूचे छापाखाना उद्योग के मजदूरों का 90% है, 14 जनवरी 1979 को एक समझौता हुआ.

इस समझौते के तहत एक जनवरी 1979 से छापाखाना मजदूरों को अंतरिम वेतन वृद्धि मिलेगी. जिन छापाखानों में 9 या 9 से कम मजदूर काम करते हैं उन्हें 25 रूपये मासिक वेतन वृद्धि मिलेगी. ऐसे छापाखानों में जिनमें मजदूरों की संख्या 10 से 29 तक है तो 32 रूपये, 30 से 49 तक है तो 40

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

राजस्थान सूती उद्योग के

तीस हजार श्रमिकों की जीत

राजस्थान के सूती उद्योग के श्रमिकों की मांगों पर समझौता हो जाने के कारण 21 फरवरी से होने वाली हड़ताल टल गई है. निजी क्षेत्र की मिलों की तरफ से मिल मालिक संघ ने हस्ताक्षर किए.

अगस्त 1977 में इस उद्योग के तीस हजार श्रमिकों की तरफ से मांग पत्र पर तीन दिन की हड़ताल हुई थी. भीलवाड़ा व विजय नगर की मिलों में कार्यरत इंटक व बी. एम. एस. की यूनियनों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया था. शेष सभी कारखानों में पूरी हड़ताल थी. हड़ताल के तीसरे दिन राज्य सरकार ने उसी माह से रु. 28.50 पैसे की वृद्धि की. यह आदेश 31 दिसंबर 1978 तक ही लागू थे. कुछ मिलों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और एक मिल ने रु. 28.50 पैसे की बजाए रु. 13-50 पैसे ही दिए. यह मामला अभी चल रहा है.

पिछले डेढ़ वर्ष से सीटू इसके लिए कोशिश कर रही थी कि शेष मांगों पर समझौता हो जाए. राजस्थान सीटू के तहत भवानी मंडी में कपड़ा उद्योग के श्रमिकों का सम्मेलन करके संघर्ष का निर्णय लेकर दिसंबर 1978 के अंत में सीटू की तरफ से सभी मिलों को नोटिस देकर 18 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया. इसकी जानकारी 'सीटू मज़दूर' के फरवरी अंक में हम दे चुके हैं.

मजदूरों की एकता को देख कर मालिकों ने बातचीत शुरू की और 19 फरवरी को समझौता हुआ. समझौते के अनुसार पहली जनवरी से सभी श्रमिकों के वेतन में रु. 21.50 पैसे की वृद्धि होगी. यह वृद्धि रु. 28.50 पैसे तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि के अतिरिक्त होगी.

मंहगाई भत्ते की दर अखिल भारतीय इंडेक्स पर तय करने के लिए पुरानी एडहोक बढ़ोतरी को शामिल मान कर निर्णय किया जाएगा. यह काम एक कमेटी पर छोड़ा गया है. इसका फैसला 15 अप्रैल तक हो जाएगा और उसे पहली जनवरी से लागू किया जाएगा. इस कमेटी के फैसले से मंहगाई भत्ते में और बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा कई और मांगों का अंतिम फैसला भी यही कमेटी करेगी. और ये फैसले पहली जनवरी से ही लागू होंगे.

समझौते के अनुसार आकस्मिक छुट्टी 7 से बढ़ा कर 9 कर दी गई है. जिस विभाग में महिला श्रमिक काम करती हैं वहां महिला जाबर नियुक्त की जाएंगी और क्रेश में आने वाले बच्चों को अच्छे भोजन की सुविधा मिलेगी. प्रबंधक मिल के सामान्य काम पर ठेके के मज़दूर नहीं रख पाएंगे. वे काम सीखने वाले श्रमिकों से नियमित काम नहीं ले पाएंगे. जिस दिन उनसे काम लिया जाएगा उस दिन का उन्हें वेतन दिया जाएगा. और तीन माह से अधिक ऐसे श्रमिकों को काम सीखने वाला नहीं माना जाएगा. इनके अतिरिक्त कई और मांगें भी स्वीकार कर ली गई हैं.

अगर कोई मिल इस समझौते को लागू नहीं करती है तो श्रमिक संघर्ष करेंगे. ऐसी हालत में राजस्थान के सारे श्रमिक उनकी मदद में मैदान में उतर आएंगे.

चटकल मजदूरों को वाम-मोर्चा सरकार द्वारा खुला समर्थन

[पृष्ठ चार से आगे]

मजदूरों और 10% बदली मजदूरों की श्रमिक संख्या बनाए रखने को मान लिया जाना चटकल मजदूरों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धी है. इसके अतिरिक्त चटकल सामंतों ने ग्रेड और वेतन मान लागू करना स्वीकार कर लिया है और ये खासतौर से इसी काम के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा तय किए जाएंगे.

सीटू की अगुवा भूमिका

चटकल मजदूरों की यह महत्वपूर्ण जीत समूचे भारतीय मजदूर वर्ग की प्रेरणा होगी. इस हड़ताल का संचालन सभी ट्रेड यूनियनों ने एकजुट होकर किया था और सीटू से संबद्ध बंगाल चटकल मजदूर यूनियन ने, जिसके पश्चिम बंगाल में एक लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं, सबसे अगुवा भूमिका अदा की.

यह हड़ताल हर तरह से पूरी थी और एक भी मजदूर काम पर नहीं गया. चटकल मजदूरों की एकता बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली थी. चटकल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में काफी एकता प्रदर्शन हुए.

पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने, खास तौर से मुख्य मंत्री व श्रम मंत्री ने चटकल मजदूरों के संघर्ष को खुला समर्थन दिया और इसने चटकल इज़ारेदारों को चटकल मजदूरों की मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने में बहुत मदद की. चटकल मजदूरों की इस हड़ताल और विजय ने भारतीय मजदूर वर्ग के सामने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के चरित्र को और ऊंचा उठाया है.

एकजुट आंदोलन में यह मजदूर वर्ग के विश्वास को और शक्तिशाली बनाने में मददगार साबित होगा.

बी. टी. रणदिवे का संदेश

सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू) के नाम तार भेज कर मजदूरों को उनके शानदार संघर्ष और जीत के लिए बधाई दी और चटकल यूनियनों के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की इस संघर्ष में भूमिका की सराहना की.

'सीटू मज़दूर' की ओर से पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी जुझारू चटकल मजदूरों को हमने अपना लाल सलाम दिया है.

बिहार बिजली कर्मचारी हड़ताल

दमन की परवाह न कर संघर्ष तेज करने का आह्वान

बिहार राज्य विद्युत परिषद के 40 हजार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 6 फ़रवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए. जहां एक ओर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने आखिरी समय पर भी बुलाई गई समझौता वार्ता में भाग लिया वहां परिषद के प्रतिनिधियों ने तानाशाह कौछर के नेतृत्व में समझौता वार्ता का बायकाट किया.

सरकार को चाहिए था कि इस तानाशाह कौछर को हटाकर मजदूर प्रतिनिधियों से उनकी मांगों पर समझौता करा कर इस समस्या का हल करती. लेकिन जनता सरकार अपने पुराने पूर्वजों के ही रास्ते पर चल कर इसे आवश्यक सेवा घोषित करते हुए मजदूरों को जेल, नौकरी से बाहर करने आदि की धमकी का सहारा लेकर संघर्ष को तोड़ने का कुचक्र चला रही है.

स्वयं परिषद के प्रवक्ताओं के बयानों से पता चलता है कि 40 प्रतिशत से अधिक मजदूर फील्ड कामगार यूनियन और बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर हड़ताल पर चले गए थे. 7 फरवरी से बी. एम. एस. से संबंधित यूनियन भी हड़ताल पर गई और 8 से बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स यूनियन चक्रधर गुट ने भी हड़ताल पर जाने की तैयारी की.

सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष का. बी. टी. रणदिवे ने एक बयान में बिहार के बिजली कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए एकजुट आंदोलन में कूद पड़ने और सरकार की मजदूर विरोधी व दमनात्मक कदमों का डटकर मुकाबला करने के लिए हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने कहा कि सीटू यह जानना चाहेगी कि क्या वे ट्रेड यूनियन नेता जो आज मंत्री बने हुए हैं व कल तक इन्दिरा गांधी के तानाशाही कदमों का विरोध करते थे, बिहार सरकार द्वारा उठाए जा रहे मजदूर विरोधी कदमों का समर्थन करते हैं. उन्होंने ट्रेड यूनियनों को बिहार के बिजली मजदूरों का साथ देने का आह्वान किया ताकि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को वापस कराया जा सके.

सी. आई. टी. यू. की बिहार राज्य कमेटी ने बिहार सरकार द्वारा बिजली को आवश्यक सेवा घोषित करने संबंधी जारी किए गए अध्यादेश की सख्त निंदा की और जनता पार्टी के हुक्मरानों को आगाह किया कि वे अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलना छोड़कर मजदूरों की मांगों को स्वीकार करें और हड़ताल समाप्त कराएं.

बिजली मजदूरों के छुट्टी के दिन काम नहीं करने पर वेतन काट लिया जाता है और उन्हें बिना ओवर टाइम के काम करने को मजबूर किया जाता है. बिहारराज्य विद्युत परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं को हो रही असुविधाओं के लिए कर्मचारियों को ही दोषी ठहराने की साजिशें हो रही है और उन्हें दंडित किया जाता है. लंबे संघर्षों के बाद प्राप्त अधिकारों व सुविधाओं को एक एक कर छीना जा रहा है. पदोन्नत्ति पर एक तरह से रोक लगी हुई है. 1972 के मुकाबले आज दोगुना गांवों में बिजली पहुंच गई है. अतः पदों को बढ़ाने के बजाए कम किए जा रहे हैं.

1975 में वेजबोर्ड की आयु खत्म हो गई. किंतु अभी तक नया वेतनमान लागू नहीं किया. और न ही बिजली कर्मचारियों की अंतरिम सहायता की मांग सुनी जा रही है. इसके विपरीत वे सुविधाएं जो कर्मचारी आज तक पाते रहे हैं उन्हें छीना जा रहा हैं 24. फरवरी को सीटू और अन्य चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बिहार राज्य कमेटियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त विज्ञप्ति में बिजली कर्मचारी यूनियनों व प्रबंधकों के बीच हुए पुराने समझौते और बिहार श्रम विभाग द्वारा 20 नवंबर 1978 को जारी किए आदेशों, जिसमें बिजली कर्मचारियों द्वारा पाए जाने वाले भत्तों और सुविधाओं को कम न करने का आदेश दिया गया है, को लागू करने की मांग की गई है. इसमें सरकार द्वारा उठाए गए दमनात्मक कदमों, जैसे गिरफ्तारी, वारंट, संपत्ति जब्त करना, हड़ताली परिवारों को तंग करना और घरों से बाहर निकाल देना, मुअत्तल करना आदि जिससे सरकार हड़तालियों को आंतकित कर रही है और आत्म-समर्पण के लिए मजबूर कर रही है. की कड़ी निंदा की है. और बिजली सेवा को आवश्यक सेवा घोषित कर गैर कानूनी करार देने के लिए भी सरकार की आलोचना की गई है. बिजली कर्मचारियों के समर्थन में 28 फरवरी को एकता दिवस मनाने का आह्वान किया गया.

बिहार विद्युत परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि अधिकतम समझौते हड़ताल की धमकी में आकर किए गए और इस लिए उन्हें लागू नही किया जा सकता. यह बहुत ही गैरजिम्मेदाराना बात है. अगर प्रबंधकों के विचार इसी प्रकार बने रहे तो औद्योगिक शांति व संबंध कदाचित नहीं सुधरेंगे. यह दिल्ली से सीटू व दूसरी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 26 फ़रवरी को जारी किए गए एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है. कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन व सरकार की दमनात्मक कदमों और बहुत अधिक मात्रा में कर्मचारियों को मुअत्तल किए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है.

दमन के बल पर किसी आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता. समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने बिजली कर्मचारियों को दमन की परवाह न कर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया है. और उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनके संघर्ष का पूरा समर्थन करता है.

यूगोस्लाव ट्रेड यूनियन का आठवां सम्मेलन

कन्फेडरेशन आफ यूगोस्लाव ट्रेड यूनियन्स का आठवां सम्मेलन 21 से 23 नवंबर तक बेल्ग्राद में हुआ. सीटू ने मुझको भ्रातृत्व-प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा. मैं 16 नवंबर को बेल्ग्राद पहुंचा.

एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के एक दल को सम्मेलन से पहले बेल्ग्राद से 60 मील दूर एक औद्योगिक क्षेत्र, जिसे निज (एन. आई. जेड.) कहते हैं, ले जाया गया. हमें बहुत ज्यादा मशीनीकृत व अत्याधिक आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग व तंबाकू फैक्ट्री दिखाई गई.

इस कस्बे में हमने दो बहुत ही स्मर्णीय चीजें देखी. एक तो नजरबंदी शिविर था जिसको हिटलर अपने शासन में इस्तेमाल करता था. इसकी सबसे ऊपरी मंजिल में छोटी-छोटी सी पूरी तरह बंद कोठड़ियां हैं. इनमें घोर अंधेरा है. इन कोठड़ियों में अनेक देशभक्त शहीद हुए. युवा लड़कों व लड़कियों के कपड़े, परिचय पत्र, चित्र व दूसरी चीजें आज भी प्रदर्शन के लिए इस शिविर में संभाल कर रखी गई हैं. दूसरा वह स्थान था जहां 12,000 देश भक्तों को नाजियों द्वारा गोली से मार दिया गया था और उन्हें एक साथ सामूहिक कब्र में दफना दिया गया था. उन शहीदों की यादगार में वहां तीन विशाल स्तंभ बनाए गए हैं. ये दोनों रोंगटे खड़े कर देने वाले स्थान व दृष्य थे. उन शहीदों के सम्मान में हमने अपने सिर झुका दिए.

कन्फेडरेशन के विशाल भवन में एक बहुत बड़ा हाल है उसमें सम्मेलन शुरू हुआ. यूगोस्लाव-प्रतिनिधियों को भू-मंजिल पर स्थान दिया गया और विदेशों से आए भ्रातृत्व प्रतिनिधियों को बाल्कनी में बैठाया गया.

सम्मेलन में 1383 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. उत्पादन से संबंध रखने वाले श्रमिकों का प्रतिनिधित्व 60.5% था. बाकि सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन पाने वालों, अप्रवासियों व विदेशों में काम करने वाले यूगोस्लाव प्रतितिनिधि थे.

अल्बानिया, कंबोदिया और लाओस को छोड़ कर भ्रातृत्व-प्रतिनिधि सभी समाजवादी देशों, योरप के देशों, कई अफ्रीकी देशों, अरब देशों, एशियाई व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आए थे. भारत से सी. आई. टी. यू., एटक, एच. एम. एस. और इंटक के एक-एक प्रतिनिधि थे.

जब अध्यक्ष टीटो पहले दिन के प्लेनरी सेशन में भाषण देने के लिए आए तो काफी देर तक खड़े होकर जय जयकार के नारे लगाए गए. उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था की अच्छाइयों और कमजोरियां बताते हुए भविष्य में प्रगति के लिए कमजोरियों को सुधारने के लिए रूपरेखा दी. उसके बाद यूगोस्लाविया के भूतपूर्व प्रधान मंत्री व कन्फेडरेशन के अध्यक्ष कामरेड स्पाइजेक ने भाषण दिया.

इसके बाद सम्मेलन के अध्यक्ष ने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी भ्रातृत्व प्रतिनिधियों की पूरी सूचि पढ़ी और हर बार यूगोस्लाव प्रतिनिधियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.

विभिन्न विषयों पर विभिन्न आयोगों के रूप में दूसरे दिन भी सम्मेलन चलता रहा. आखिरी दिन, 23 तारीख को, प्लेनरी सेशन के सामने हर आयोग की पूरी रिपोर्ट पढ़ी गई.

विदेशी प्रतिनिधि छः भाषाओं में तुरंत अनुवाद की व्यवस्था के कारण सम्मेलन की कार्यवाही की पूरी तरह समझ सकें.

विदेशी प्रतिनिधियों की शुभकामनाएं ट्रेड यूनियन दैनिक राड (आर. ए. डी.) में प्रकाशित की गई. सीटू संदेश में हिटलर शासन के खिलाफ लड़े शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साम्राज्यवाद के लगातार कमजोर होने, समाजवाद के पक्ष में विभिन्न ताकतों का लामबंद होने, कमजोर साम्राज्यवाद की छट-पटाहट, विश्व साम्राज्यवाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य, भारत में 19 महीने की इमरजेंसी और उसका काला रूप, भारत में तानाशाही ताकतों की हार और भारत में मजदूर वर्ग के देश स्तर, राज्य स्तर और उद्योग स्तर की मौजूदा संयुक्त कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया था. यूगोस्लाविया की मेहतकश जनता को अपनी उन्नति व अच्छी हालतों के लिए आगे कोशिशों में सफलता पाने की कामना करते हुए सीटू ने आशा व्यक्त की कि भारतीय मजदूर वर्ग के आगे आने वाले संघर्ष का समर्थन कर एकजुटता व्यक्त करेंगे.

सम्मेलन के बाद 'विश्व के विकास शील देशों के विकास की समस्याओं' पर दो दिन की एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें यूगोस्लाव और सभी विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया. हर प्रतिनिधि को बोलने के लिए 15 मिनट दिए गए थे. यह एक गोल-मेज गोष्ठी थी जिससे सभी आसानी से विचार विमर्श कर सके. सीटू की ओर से मैंने विकसित पूंजीवादी देशों और विकासशील देशों के बीच के अंतराल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उपनिवेशवाद की खतरनाक भूमिका, विदेशी कर्जों की अदायगी व ऐसे दूसरे कदमों पर रोक के लिए इन देशों की एकता की जरूरत और इन देशों में, विकसित पूंजीवादी देशों व समाजवादी देशों में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर 15 मिनट का भाषण दिया. अफ्रीका, श्रीलंका और बंगलादेश के कई प्रतिनिधियों ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों की सराहना की.

इस सम्मेलन के बाद लगभग एक सप्ताह के लिए मैं रूमानिया गया.

---आर उमानाथ

मिल का संचालन सरकार अपने हाथ में ले

सी. आई. टी. यू. के आह्वान पर कानपुर जूट उद्योग के मज़दूरों ने विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा गठित 'कानपुर जूट उद्योग संयुक्त मोर्चा' के तहत 20 जनवरी 1979 से जेल भरो आन्दोलन प्रारंभ कर दिया है. अभी तक जेल भरो आंदोलन में श्रमिकों के 12 जत्थे जेल जा चुके हैं. इन 12 जत्थों में लगभग 80 श्रमिकों ने कारखाने के गेट पर अपनी गिरफ्तारियां दी हैं. संयुक्त मोर्चा में कानपुर जूट उद्योग मजदूर पंचायत (सी.आई.टी.यू.), जूट मिल श्रमिक संघ (बी. एम. एस.), जूट मजदूर कांग्रेस (आई. एन.टी.यू सी) और जयपुर उद्योग स्टाफ सदस्य शामिल हैं.

कानपुर जूट उद्योग के श्रमिकों के इस संघर्ष में सी. आई. टी. यू. और उससे सम्बन्धित यूनियन जे. के. रेयान वर्कर्स यूनियन, आई. ई. एल. एंप्लाईज यूनियन, जे. के. जूट मिल मजदूर पंचायत, सूती मिल मजदूर सभा, लोहा मिल मजदूर यूनियन के साथ ही अन्य उद्योगों के श्रमिकों और बैंक, बीमा, डिफेन्स, शिक्षक और जनवादी नवजवान सभा तथा अन्य जनवादी ताकतों के कार्यकर्त्ताओं का पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त है. इस आन्दोलन में देहात के किसानों का भी सहयोग मजदूरों को मिल रहा है.

श्रमिकों के इस सम्पूर्ण संघर्ष का नेतृत्व और संचालन सी. आई. टी. यू. के नेता कामरेड दौलत राम कर रहे हैं.

कानपुर जूट उद्योग के श्रमिकों का यह संघर्ष तनख्वाह बढ़ोतरी, बोनस या अन्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उनका यह संघर्ष पूंजीपति द्वारा कृत्रिम आर्थिक संकट पैदा करके कारखानों को बन्द करके अभिनवीकरण के नाम पर काम बढ़ोत्तरी का बोझा लादने, श्रमिकों की छटनी करने, अन्य सुविधाओं को छीनने या कम करने और कृत्रिम आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकार से रुपया ऐंठने की नापाक साजिशों के खिलाफ है.

कानपुर जूट उद्योग के प्रबन्धकों द्वारा जानबूझ कर बिजली के बकाया बिल का 30 हजार रुपया अदा न करने के कारण कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा) द्वारा बिजली सप्लाई काट देने से कारखाना 21 सितम्बर 1978 से बन्द हो गया. कारखाना बन्दी का यह षडयन्त्र प्रबन्धकों द्वारा हिन्द मजदूर सभा के दलाल नेताओं, उत्तर प्रदेश सरकार और 'केसा' के अधिकारियों के सहयोग से रचा गया. और इसका उद्देश्य सी. आई टी. यू. के झण्डे तले संगठित मजदूरों की ताकत को तोड़ना भी था.

कारखाना बन्दी से 1500 मजदूर बेरोजगार हो गया है और उनके परिवार के 6000 लोग प्रभावित हुए हैं. इस कारखाने के मजदूरों के साथ यह यह बिडम्बना रही है कि उन्हें पिछले दो दशक में कई बार मिल बन्दी के लम्बे और भयावह दौर से गुजरना पड़ा है. एक बार उन्हें 1966 से लेकर 1970 तक और दूसरी बार 1975 से लेकर 1976 तक तथा अब तीसरी बार 21 सितम्बर 1976 से लेकर आज तक. बन्दी के इस दौर में न जाने कितने मजदूरों की और उनके परिवार के लोगों की मौतें अभाव के कारण हुई. अभी तक की जानकारी में तीसरी बार की बन्दी में लगभग 14 श्रमिक मौत की गोद में जा चुके हैं.

कारखाना बन्दी के दिनों से लेकर आज तक कारखाने का मजदूर मिल बन्दी के इस कैंसर रोग के खिलाफ जुझारु संघर्ष चला रहा है. श्रमिकों ने स्थानीय जिलाधीश और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्रीय श्रम मंत्रालय तक के स्तर पर प्रदर्शन, धरना व भूख हड़ताल आदि के कार्यक्रम आयोजित किए. लेकिन उन्हें सिवाए झूठे आश्वासनों के और कुछ नहीं मिला.

इसी बीच कानपुर जूट उद्योग के प्रबंधकों द्वारा 1 जनवरी 1979 से कारखाना बंद घोषित कर दिया गया.

ऐसी स्थिति में श्रमिकों ने कानपुर जूट उद्योग का तत्काल अधिग्रहण कर चालू कराने के लिए 29 जनवरी से जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया.

जेल भरो आंदोलन में जे. के. रेयान वर्कर्स यूनियन, जनवादी नौजवान सभा और अन्य जनवादी ताकतों के कार्यकर्त्ता कानपुर जूट उद्योग के मजदूरों के इस संघर्ष में जेल जा चुके हैं. दूसरे कारखानों, किसानों और नौजवानों के अन्य जत्थे भी जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं. अधिग्रहण की मांग को लेकर कानपुर में हस्ताक्षर आंदोलन चलाया जा रहा है. बंद सत्याग्रहियों को कष्ट दिए जा रहे हैं. उन्हें अभी तक जेल में रिमांड पर ही रक्खा गया है जबकि एक महीना होने को आ रहा है.

इस सबके बावजूद श्रमिकों का आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.

सी. आई. टी. यू. के मंत्री का. एम. के. पन्धे कानपुर जूट उद्योग के अधिग्रहण के लिए उद्योग मंत्री भारत सरकार पर पूरा दबाव डाल रहे हैं.

सी. आई. टी. यू. की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के महामंत्री कामरेड रवि सिन्हा ने एक प्रेस बयान में इस बात पर चिंता प्रकट की कि सरकार द्वारा जयपुर उद्योग का अधिग्रहण करने के साथ ही कानपुर जूट उद्योग का अधिग्रहण नहीं किया गया. बयान में सरकार से मांग की गई है कि वह कानपुर जूट उद्योग का तत्काल अधिग्रहण कर मिल बंद करके रोजगार में लगे लोगों को बेरोजगार बनाने वाले पूंजीपतियों को एक सबक सिखाए.

'भेल'-सीमेंस षड़यंत्र

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स को गिरवी रखने की साजिश-1

आत्मनिर्भरता को दफनाने की नापाक कोशिश

किसी भी अल्पविकसित देश का किसी दूसरे विकसित देश की औद्योगिक कम्पनी के साथ तकनीकि सहयोग करना शुरू में उचित हीं होता है. किंतु विकास के दौर में ऐसे सहयोग की कीमत बहुत मंहगी नहीं होनी चाहिए और किसी भी हालत में यह ऐसी नही होनी चाहिए जिससे देश साम्राज्यवादी ताकत की सीधी राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद साम्राज्यवादियों के आर्थिक शोषण का शिकार हो जाए.

ऐतिहासिक अनुभव हमें यह बताता है कि अल्पविकसित देश में शुरू के तकनीकि सहयोग के बाद स्वदेशी तकनीकि को अपना कर, उसमें सुधार कर और उसके विकास द्वारा तथा वैज्ञानिक, इंजीनियरी और तकनीकि कार्यकर्त्ताओं के तेजी से विकास और उनमें राष्ट्रप्रेम की भावना भरकर देश को साम्राज्यवादियों के आर्थिक शोषण के शिकार होने से बचाया जा सकता है.

आजादी से पहले भारत उपनिवेशिक देशों में औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज्यादा विकसित देश था. इसके कुछ वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर ली थी. आजादी के बाद वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व प्रौद्योगिकविज्ञों की संख्या इतनी बढ़ोतरी हुई कि आज यह देश दुनिया में इनकी संख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पर है. यह वह देश है जिसके सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकविज्ञ अमरीका पश्चिमी जर्मनी व स्विट्जरलैंड आदि की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी ओर ऊंचे दाम देकर खींच लेती हैं. उनकी शोध कार्य के लिए योग्यता को बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी क्षेत्रों में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं.

इस सबको मध्येनजर रखते हुए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ('भेल'), जो पूरी तरह से भारत सरकार की मलकियत का सार्वजनिक उद्योग है, ने 1974 में कंपनी के उद्देश्यों की पहली योजना तैयार की. इसमें 1980 तक 4,000 मेगा वाट प्रति वर्ष के विद्युत यंत्रों के उत्पादन और उसकी आगे मुमकिन बढ़ोतरी का लक्ष्य शामिल है. इस योजना में सौर ऊर्जा व अन्य नए ऊर्जा स्रोतों के विकास व दूसरे इरादों के अलावा विदेशी तकनीकि पर निर्भरता को कम करने और उद्योग को सामयिक बनाने के लिए अनुसंधान व विकास की गतिविधियों को विकसित करने की बात भी शामिल है.

'भेल' के उद्देश्यों की पहली योजना के तहत और खास तौर पर अनुसंधान व विकास की गतिविधियों को विकसित करने के इरादे को मध्येनजर रखते हुए 'भेल' और पश्चिमी जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कंपनी सीमेंस में हो रहे समझौते पर इस लेख श्रृंखला में विचार किया जा रहा है.

1956 में भोपाल में हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से एक उत्पादन केंद्र ब्रिटेन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से खोला गया. इसके ज्यादातर यंत्र और मशीनें अमरीका, इंग्लैंड और जापान से मंगाई गई थी. और 1964 में एक अलग कंपनी 'भेल' खोली गई जिसमें भोपाल के प्लांट को भी 1974 में शामिल कर दिया गया. इसके पहले तीन उत्पादन प्लांट हरद्वार, हैदराबाद व तिरूचिरापल्ली में लगाए गए. हरद्वार का प्लांट 100 से 200 मेगावाट के ज्यादा शक्ति के जेनेरेटर व टरबाइन आदि बनाने के लिए रूस की कंपनी के सहयोग से खोला गया. हैदराबाद का प्लांट 200 मेगावाट तक के पावर यंत्र बनाने के लिए और तिरूचिरापल्ली का प्लांट ज्यादा दबाव वाले बोआइलर बनाने के लिए चेकोस्लोवाकिया की कंपनी के सहयोग से बनाया गया.

इन तकनीकि सहयोग से 'भेल' को काफी अनुभव हुआ. भारतीय इंजीनियरों ने रूस व चेकोस्लोवाकिया से जबरदस्त काफी ज्ञान प्राप्त किया. उन्होंने न केवल यंत्रों को बनाने में काम आने वाले हिसाब-किताब को सीखा बल्कि उसके लिए जरूरी सिद्धांतों को भी समझा. इससे भारतीय इंजीनियरों को पावर यंत्रों के आगे विकसित करने, अपने निजी डिजाइन खोजने तथा 'भेल' को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी मदद मिली. और 'भेल' इंजीनियरों ने आत्मनिर्भरता के इस काम को पूरा करने में काफी सफलता प्राप्त की. और इंजीनियरी की देश में बुनियाद कायम की. 'भेल' द्वारा बनाए गए कई यंत्र तो देशी व विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए यंत्रों से अच्छे थे.

'भेल' ने बदरपुर पावर प्रोजेक्ट को 100 मेगावाट के तीन बोआइलर दिए. इसी तरह के बोआइलर व अन्य यंत्र ओब्रा पावर प्रोजेक्ट व मद्रास रिफाइनरीज को दिए. 'भेल' यंत्रों का निर्यात मलेशिया व न्यूजीलैंड को भी किया. ये सब यंत्र भारतीय इंजीनियरों द्वारा ही बनाए गए थे. ध्यान देने की बात है कि झांसी में ट्रांसफार्मर बनाने का कारखाना भेल' इंजीनियरों द्वारा बिना किसी विदेशी सहयोग के बनाया गया था.

इससे 'भेल' की क्षमता का पता चलता है. और इसे ध्यान में रखते हुए 1972 में हैदराबाद में 'भेल' ने अनुसंधान व विकास विभाग स्थापित किया ताकि इंजीनियरों की नई से नई तकनीकि से मदद की जा सके. आत्मनिर्भरता की शुरूआत तो पहले ही हो चुकी थी जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है और इस विभाग की स्थापना से इस काम को और बल मिला.

फिर 'भेल' ने कइ नए कारखाने खोले और एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में उभरी. भारत में 1973-74 तक 'भेल' द्वारा स्थापित पावर उत्पादन क्षमता 910 मेगावट थी और इसने 1976-77 तक 3912 मेगवाट की और पावर उत्पादन क्षमता की स्थापना की. इस उद्योग को अब दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के अलावा हर साल 4,000 मेगावाट के पावर यंत्रों के उत्पादन की क्षमता है. इस दौरान 'भेल' ने, जिससे 55,000 कर्मचारी काम करते हैं जिसमें 10,000 प्रशिक्षित इंजीनियर व प्रौद्योगिकविज्ञ शामिल है, कई प्लांट व विभागों की स्थापना की. और इस बुनियाद के आधार पर 1974 में विदेशी तकनीकि पर निर्भरता को कम करने के लिए अनुसंधान व विकास की गतिविधियों को विकसित करने का उद्देश्य 'भेल' ने अपनी पहली योजना में शामिल किया.

इस योजना के आधार पर 'भेल' के प्रबंधकों ने विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ नियम बनाए. इसमें मार्कीटिंग, इंजीनियरी और अनुसंधान व विकास विभाग की राय लेना शामिल है. 'भेल' को अपने बढ़ाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सबसे बड़ी दिक़्कत मार्कीट के डांवाडोल होने की है. सभी स्तर के अनेक नौकरशाहों और यहां तक कि मंत्रियों के स्तर पर भी विदेशों से यंत्र मंगाने में निजी स्वार्थ पैदा हो गए. इसके कारण 'भेल' के इंजीनियरी विभाग ने अपने आपको अपनी तकनीकि और संगठनात्मक बुनियाद को और मजबूत व स्थिर बनाने में अयोग्य पाया. बड़े प्रबंधकों की अनुभवहीनता, अयोग्यता व जानने तथा समझने के लिए अरूचि ने कठिनाइयों को और बढ़ाया जिन पर आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाने की लग्न व इच्छा से काबू पाया जा सकता था.

मार्कीट की लगातार बदलती मांगों के नाम पर आत्मनिर्भरता का रास्ता छोड़ दिया गया. कमियों को दूर करने की और ध्यान देने की बजाए अपने इंजीनियरों की योग्यता को ताक पर रखते हुए तकनीकि के आयात का आसान रास्ता चुना गया. और उन यंत्रों के लिए भी विदेशी कंपनियों के साथ समझौते लंबे अरसे के लिए किए गए जिनके देश के इंजीनियर विशेषज्ञ थे.

नए सहयोग पूरी तरह से पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किए गए. 1971 और उसके बाद अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, और फ्रांस की कई कंपनियों से समझौते किए गए.

'भेल' प्रबंधकों को खुद बनाए हुए सहयोग-सिद्धांत ठीक नहीं लगे. ज्यादातर समझौते इन सिद्धांतों के खिलाफ जाकर किए गए. **और पहली योजना का विदेशी तकनीकि सहायता कम करने का आदर्श उद्देश्य चुपचाप जमीन में गाड़ दिया गया.**

'भेल' के उच्चाधिकारियों के इन कारनामों से हौसला पाकर पश्चिमी जर्मनी बहुराष्ट्रीय कंपनी, सीमेंस, ने 'भेल' पर अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ाना शुरू किया. सीमेंस ने तकनीकि व संगठनात्मक कठिनाइयों का और लालची व खुदगर्ज प्रबंधकों की कमजोरियों का बड़ी चतुराई से फायदा उठाया. अपने अनुचित प्रभाव व हेराफेरी तथा ऊपर दिए गए कारणों के कारण सीमेंस ने 'भेल' में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पा लिया है. और इंदिरा गांधी व उसके चमचों का षड़यंत्र में हाथ था, इसे मानने के लिए अनेक कारण मौजूद हैं.

'भेल' मे 1976 में सीमेंस की इकाई क्राफ्टवेर्क यूनियन के साथ एक सहयोग-समझौता किया. यह समय इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की चरम सीमा का दौर था जब संसद केवल नाम के लिए ही रह गई थी. इस तरह 1976 में सीमेंस ने भारत के हेवी इलेक्ट्रिकल उद्योग में अपना पैर जमाया.

1973 में 'भेल' इस नतीजे पर पहुंची कि 1980 तक 500 मेगावाट क्षमता के पावर उत्पादक यंत्र बनाने होंगे. सरकार ने 500 मेगावाट के यंत्रो के पूरी तरह से भारतीय तकनीकि द्वारा विकास का मुझाव दिया. अनुसंधान व विकास विभाग के इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई गई. इन इंजीनियरों ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सुझाव दिए. हैदराबाद के प्लांट से 425-500 मेगावाट और हरद्वार के प्लांट से 500 मेगावाट के पावर उत्पादक यंत्रों के निर्माण के सुझावों के साथ 420 मेगावाट के टरबाइन विकसित करने का भी सुझाव इस

[शेष पृष्ठ दस पर]

विदेशी और भारतीय इजारेदारों के स्वार्थ एक ही हैं...

...इसका एक जीता जागता सबूत : 'टाइम्स आफ इंडिया' ने 'भेल'-सीमेंस षड़यंत्र पर कामरेड पी राममूर्ति द्वारा लिखी गई किताब 'स्टाप भेल्ज डेंजरस ट्रक विद सीमेंस' का विज्ञापन अपने अखबार में छापने से इंकार कर दिया.

उन्हें देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है...

[पृष्ठ नौ से आगे]

कमेटी ने दिया. इससे पहले रुसी डिजाइन की बुनियाद पर 200 मेगावाट के यंत्र बनाने का और 210 व 110 मेगावाट के टरबाइन बनाने का अनुभव 'भेल' के पास था ही. न जाने क्यों ये सुझाव नही माने गए.

और 1974 में अनुसंधान व विकास इंजीनियरों के उत्साह को मिट्टी में मिलाते हुए व उनके शोधकार्यों का अपमान करते हुए कमेटी के सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया तथा टरबाइन व जेनेरेटर तकनीकि को विदेशों से आयात का फैसला किया गया.

'भेल' इंजीनियरों का एक दल दूसरे कई देशों में गया. कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिला. विदेशी इंजीनियर भी भारत आए. बातचीत हुई 'भेल' के अध्यक्ष श्री वी. कृष्णमूर्ति ने 5 जून, 1974 को एक नोट में लिखा कि हमारे अपने ज्यादा क्षमता वाले यत्रों को विकसित करने के लिए हमारी प्रयोगशालाएं कुछ समय लेंगी. इससे साफ जाहिर है कि 'भेल' इंजीनियर ये यंत्र खुद बना सकते थे. लेकिन उच्चाधिकारियों को यह मंजूर न था. उन्होंने विदेशी तकनीकि को अपनाना ही अपने हित में पाया. और कृष्णमूर्ति ने आगे अपने नोट में लिखा कि इससे हमारे इंजीनियर 750-800 मेगावाट के यंत्र विकसित करने के काबिल हो जाएंगे और तब तक हमारी अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाएं भी ठीक प्रकार से काम करने लगेंगी. इससे भी यह साफ जाहिर होता है कि सवाल केवल प्रयोगशालाओं के विकास का था न कि अच्छे व होनहार इंजीनियरों का. लेकिन आत्मनिर्भरता के रास्ते को छोड़ कर विदेशी निर्भरता को स्वीकार कर लिया गया.

इस फैसले के बाद कई कम्पनियां सामने आई जो पावर यंत्र बनाने कि विशेषज्ञ है. क्राफ्टवेर्के यूनियन का कहीं नाम नही था. फिर दोबारा से कंपनियों का चयन किया गया. इस बार विशेषज्ञ कमेटी ने यंत्रों के गुणों को मध्येनजर रखते हुए क्राफ्टवेर्के यूनियन का नाम सबसे नीचे रखा. लेकिन क्राफ्टवेर्के यूनियन को चुना गया. जाहिर है कोई न कोई अधिकारी इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ सहयोग समझौता करने में दिलचस्पी ले रहा था.

लेकिन यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि यह समझौता 500 मेगावाट के टरबाइनव जेनेरेटर की बजाए 200 से 1000 मेगावाट तक के यंत्रों के लिए किया गया. 200 मेगावाट के यंत्र हरद्वार प्लांट रूसी सहयोग से पहले ही बना रहा था 500 मेगावाट तक के यंत्रों को बनाने की, कृष्णमूर्ति के अनुसार, भारतीय इंजीनियरों में क्षमता थी.

श्री कृष्णमूर्ति, जो अब उद्योग मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग के सचिव हैं, यह कह रहे हैं कि यह समझौता बहुत ही अच्छी शर्तों पर किया गया है. जब कि क्राफ्टवेर्के यूनियन की मूल कंपनी सीमेंस के साथ 1974 के समझौते के कड़वे अनुभव मौजूद हैं. इस कंपनी ने इंजीनियरी सिद्धांत तो क्या इंजीनियरी डिजाइन आदि देने में भी आनाकानी की थी और दाम बढ़ा दिए थे.

क्राफ्टवेर्के यूनियन के साथ यह समझौता 15 सालों के लिए किया गया है. इसे दस सालों के लिए और बढ़ाया जा सकता है. कुल मिला कर 25 साल. केंद्रीय सरकार की उद्योग राज्य मंत्री कुमारी आभा मैति ने 15 मार्च, 1978 को लोक सभा में इस समझौते पर एक बयान दिया. जिसके अनुसार इस समझौते का मतलब है कि इस कंपनी को सीधे सीधे 2.92 करोड़ रुपये देना. इसका एक तिहाई भाग समझौते पर हस्ताक्षर होने के तीस दिन के भीतर, एक तिहाई कागजात पूरे होने पर और बाकी रुपया किश्तों में देना था.

इसके अलावा पहले पांच टर्बो-जनरेटर पर 4%, अगले पांच पर 3% और उसके बाद 2% कमीशन क्राफ्टवेर्के यूनियन को भी देना शामिल था. यही नहीं 'भेल' द्वारा बेचे जाने वाले टर्बो-जेनेरेटर के हिस्सों व पूर्जों पर 4% और दूसरी किस्म के हिस्सों व पूर्जों पर 2.5% की रायल्टी भी क्राफ्टवेर्के यूनियन को देना स्वीकार किया गया. इसके अलावा क्राफ्टवेर्के यूनियन की इंसुलेशन तकनीकि प्रणाली के साथ साथ 'भेल' द्वारा बनाई जाने वाली दूसरी मशीनों की वांइडिंग पर भी 5% रायल्टी देना स्वीकार किया गया.

यह मार्के की बात है कि 'भेल' को वांइडिंग पर भी रायल्टी देनी होगी जो कि 'भेल' ने खुद विकसित की. भारतीय तकनीकि से तारों का इंसुलेशन संसार में काफी अच्छा माना जाता है. इसके लिए देश को अपने इंजीनियरों पर नाज़ होना चाहिए. इस इंसुलेशन प्रणाली को बदलने की क्या जरुरत है. लेकिन स्वार्थी प्रबधंकों ने इसे भी बदल दिया. इंसुलेशन के लिए क्राफ्टवेर्के यूनियन की तकनीकि इस्तेमाल की जाएगी और वांइडिंग पर इस कंपनी को रायल्टी. कैसी आत्मनिर्भरता है. इससे इस समझौते के दौरान 20 करोड़ रुपये देना होगा.

यही नहीं क्राफ्टवेर्के यूनियन के टरबाइन इस्तेमाल करने के लिए पावर प्लांटों के दूसरे यंत्र भी बदलने पड़ेंगे. इनको बदलने में कितना रुपया लगेगा इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है. इस बदलाव के लिए अब 'भेल' अनेक पावर प्लांटों व विद्युत प्राधिकरणों को मजबूर कर रही है. लेकिन इस सब पर आने वाले खर्च से 'भेल' के प्रबधंकों का कोई लेना देना नहीं है. उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं. उन्हें तो केवल अपने स्वार्थों को पूरा करना है. (क्रमशः)

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रूपये

एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां

मिलने का पता

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

ई. एस. आई. कानून और कर्मचारी

मद्रास हाई कोर्ट ने एंप्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (ई. एस. आई.) और स्पेंसर एंड कंपनी के बीच चल रहे मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है. स्पेंसर एंड कंपनी होटल कन्नीमरा चलाती है. यह चार सितारों वाला होटल है जिसमें 95 पूरी तरह सेवा तानुकूलित कमरे हैं. सवाल यह पैदा हुआ था कि क्या ई. एस. आई. कानून इस कंपनी के कर्मचारियों पर भी लागू होता है.

एंप्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कानून बुनियादी तौर पर फैक्ट्रियों पर लागू होता है. यह औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि या किसी और संगठन या संस्थान पर भी लागू हो सकता है यदि उचित सरकार इसकी घोषणा कर दे.

उक्त कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार फैक्ट्री वह स्थान है जहां शक्ति (जैसे बिजली) की सहायता से या साधारणतया उत्पादन कार्य किया जाता है हालांकि इसमें खदान व रेलवे रनिंग शेड शामिल नही है.

कंपनी का कहना था कि होटल में कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है. कंपनी ने अदालत में एक मामला दर्ज करा दिया ताकि ई. एस. आई. अपने प्रावधानों को इसके ऊपर लागू न कर सके.

ई. एस. आई. ने हाई कोर्ट में अपील दायर की और कोर्ट ने अपील दर्ज कर ली. मुकदमे के दौरान जो तथ्य सामने आए वे इस प्रकार हैं.

होटल में बिजली से चलने वाली आलू छीलने की मशीन थी. इसके अलावा बिजली के कई यंत्र थे जैसे बर्तन साफ करने, टोस्ट बनाने, काफी बनाने, व कपड़ो पर प्रैस करने की मशीनें. ई. एस. आई. के अनुसार होटल में शक्ति की सहायता से उत्पादन कार्य हो रहा था और सारे साल 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते थे. दूसरी ओर कंपनी का कहना था कि शक्ति की मदद से कोई उत्पादन कार्य नहीं हो रहा था और न ही उसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते थे. यानि आलू छीलने, काफी बनाने व बर्तन साफ करने वाली आदि मशीनों को चलाने 20 से कम कर्मचारी थे और वे उत्पादन कार्य में नहीं लगे थे.

असलियत में मामला यहां आकर अटका कि क्या फैक्ट्री या संस्थान से संबंधित काम में 13 कर्मचारी लगे थे. क्योंकि गिनने पर कर्मचारी 20 से भी ज्यादा थे. एंप्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन कानून की धारा 1 (4) के तहत यह कानून सभी फैक्ट्रियों पर लागू होता है और धारा 2 (12) के अनुसार फैक्ट्री वह स्थान है जहां शक्ति की सहायता से उत्पादन कार्य होता है. इसकी व्याख्या करते समय यह भी कहा गया है कि उत्पादन कार्य व शक्ति का वही मतलब है जो फैक्ट्री कानून, 1948, में दिया गया है. फैक्ट्री कानून की धारा 2 (के) के अनुसार उत्पादन कार्य में किसी चीज या वस्तु को इस्तेमाल के नजरिये से सफाई का कोई भी काम, बिक्री, स्थानांतरण आदि शामिल हैं. फैक्ट्री कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार शक्ति का मतलब बिजली से प्राप्त ऊर्जा या दूसरी किसी प्रकार की ऊर्जा जो मशीन द्वारा प्राप्त की जाती है लेकिन वह ऊर्जा नही जो मनुष्य या जानवरों द्वारा पैदा की जाती है.

ई. एस. आई. कानून में दी गई कर्मचारी की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जिस पर यह कानून लागू होता है और मुख्य मालिक द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए या इससे संबंधित किसी दूसरे काम करने लिए लगाया गया है भले ही वे काम फैक्ट्री में या उससे बाहर किए जाएं, कर्मचारी कहलाता है.

इस परिभाषा की बुनियाद पर चीफ जस्टिस नायर ने जिन्होंने अदालत का फैसला सुनाया कहा कि खाने की चीजें बनाना उत्पादन कार्य है क्योंकि इनके बनाने के लिए कच्ची चीजों की सफाई करना उत्पादन कार्य या उससे संबंधित कार्य होगा. और यह कहना मुश्किल होगा कि खाना बनाने से पहले कच्ची चीजों को साफ करने या उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए किसी और तरीके से तैयार करने का काम खाना तैयार करने के काम से संबंध नहीं रखता है.

अदालत ने कहा कि उत्पादन कार्य की परिभाषा काफी विस्तृत है जिसके कारण किसी भी चीज या वस्तु के इस्तेमाल के इरादे से उस पर किए जाने वाले किसी भी काम को इस कार्य में शामिल किया जा सकता है. और उत्पादन कार्य व कर्मचारी की परिभाषा पढ़ने से यह मानना मुश्किल हो जाता है कि आलू छीलने या काफी बनाने या टोस्ट आदि बनाने वाले कर्मचारी रसोई-घर में खाना बनाने के उत्पादन कार्य से संबंधित काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं.

यह फैसला करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड व ई. एस. आई. कार्पोरेशन और वर्क्स मैनेजर सेंट्रल रेलवे वर्कशाप व विश्वानाथ के मामलों में दिए गए दो फैसलों को मध्ये-नजर रखा. पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्यादा वोल्टेज वाली बिजली को कम वोल्टेज वाली में बदलने का काम भी उत्पादन कार्य है. दूसरे मामले में बिजली कर्मचारियों को भी फैक्ट्री कर्मचारी माना गया था. इस मामले में कर्मचारी केवल समय का हिसाब किताब रखते थे और वर्कशाप के कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी, मामले सुलझाने, सांख्यिकि, हाजरी आदि से संबंधित काम करते थे.

यह फैसला ई. एस. आई. कानून द्वारा दी गई सुविधाओं को अनेक प्रकार के कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम करता है.

---अरुण प्रकाश चैटर्जी

सवाल स्थाई रोजगार का है

नेशनल सीड्स कार्पोरेशन (एन. एस. सी.) की दिल्ली रीजन फैक्ट्री में पिछले दस सालों से सैंकड़ों आकस्मिक श्रमिक लगातार काम करते आ रहे हैं. इन श्रमिकों को साढ़े छः रुपये दैनिक वेतन के अलावा और कोई किसी भी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं थी. बल्कि इसके विपरीत प्रबंधकों का व्यवहार उनके साथ जानवरों जैसा था. उनके इस व्यवहार से तंग आकर सारे मजदूर इकट्ठे हुए और अपनी कठिनाइयों, असुविधाओं व चिंताजनक हालत पर विचार किया. इसके बाद एक संगठन बनाया गया जिसको नेशनल सीड्स कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के नाम से नवंबर 1977 में पंजीकृत कराया गया.

इसी दौरान प्रबंधकों ने शोषित मजदूरों को और अधिक तंग करने की अनैतिक कोशिशें की. लेकिन मजदूरों की इस यूनियन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा. यूनियन के पंजीकृत होने की घोषणा से एन. एस. सी. के प्रबंधकों में हलचल मच गई.

यूनियन ने 15 दिसंबर 1977 को अपना पहला 18 सूत्री मांगपत्र प्रबंधकों को दिया. उसके तुरंत बाद 17 दिसंबर 1977 को प्रबंधकों ने यूनियन के साथ बातचीत की और 18 मांगों में से 11 मामूली मांगों को प्रबंधकों ने मान लिया. लेकिन इस समझौते को लागू नहीं किया गया. इससे मजदूर वर्ग को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा. संघर्ष के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा दैनिक वेतन मजदूरों की पूरे दिन काम करने के बाद भी हाजरी काटी गई. उन्हें जेल की तरह फैक्ट्री में बंद रखा गया. इससे मजदूरों में रोष और बढ़ गया. उन्होंने संघर्ष को और तेज कर दिया. इसके फलस्वरूप मानी गई 11 मामूली मांगों को फरवरी 1978 में लागू कर दिया गया. लेकिन प्रबंधकों ने दूसरी मांगों को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया. इसमें मुख्य और प्रथम मांग आकस्मिक श्रमिकों की सेवाओं को स्थायी कराने की थी.

इसके बाद यूनियन के प्रतिनिधि अपना मांगपत्र लेकर केंद्रीय कृषिमंत्री से कई बार मिले लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला. ये प्रतिनिधि संयुक्त सचिव श्रीमती अन्ना आर. मलहोत्रा जिन्होंने इस कार्पोरेशन की अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला हुआ था उनसे भी मिले. लेकिन उन्होंने भी आश्वासन देकर ही काम चलाने की कोशिश की. संघर्ष को सुचारू रूप से तेज करने के लिए यूनियन ने इसी बीच सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) से संबंध स्थापित किया.

15 जून 1978 को सीटू की सलाह के मुताबिक प्रबंधकों को एक दूसरा मांगपत्र दिया गया जिसकी एक प्रतिलिपि केंद्रीय सहायक श्रमायुक्त के पास भेजी गई. लेकिन केंद्रीय सहायक श्रमायुक्त व प्रबंधकों की मिली भगत होने के कारण छः महीने बरबाद करने के बाद भी मामले को दिल्ली प्रशासन के पास भेज दिया गया. इसी बीच प्रबंधकों से कई बैठक हुई लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ और प्रबंधक अपनी ही मनमानी में लगे रहे. इसी मांगपत्र के साथ गृह मंत्रालय के आदेश भी प्रबंधकों को दिए गए लेकिन इन आदेशों को भी प्रबंधकों ने मानने से साफ इंकार कर दिया.

मजबूर होकर 18 सितंबर 1978 को यूनियन ने प्रबंधकों को दस दिन की क्रमिक भूख हड़ताल और एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस दिया. नोटिस का कोई असर न पड़ने पर संघर्ष 20 सितंबर 1978 से शुरू हो गया. लेकिन प्रबंधकों ने अपनी मजदूरवर्ग विरोधी नीतियों का खुद पर्दाफाश किया और हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की. प्रबंधकों ने हड़ताल पर बैठे हुए मजदूरों को गुंडों से पिटवाया और उन्हें कई प्रकार की धमकियां भी दी गई.

लेकिन मजदूर के दिल में जलती हुई ज्वाला और तेज हो गई. इससे प्रबंधकों को झुकना पड़ा. उन्होंने मजदूरों की सांकेतिक हड़ताल को रोकने के प्रयास में 29 सितंबर को यूनियन के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया. इस बातचीत में केवल स्थाई आदेश और उसके अनुसार मिलने वाले सभी लाभ व संरक्षण देने का आश्वासन भरा पत्र दिया गया.

दूसरी तरफ सहायक श्रमायुक्त (दिल्ली प्रशासन) ने भी फैसले की भरसक कोशिशें की. लेकिन मुख्य प्रशासन अधिकारी जो समझौता बोर्ड में जाते थे प्रबंधकों को हमेशा बहकाते रहे. इससे इस मामले में और देर हो गई.

यूनियन के प्रतिनिधियों को हमेशा पूरी कोशिश रही कि आकस्मिक श्रमिकों के मामले को बातचीत द्वारा सुलझा लिया जाए. लेकिन प्रबंधकों की मनमानी और मूढमती ने इस मामले को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली. फिर प्रदर्शन आयोजित किए गए. और 20 दिसंबर को उन कर्मचारियों को जिन्होंने कम से कम 240 दिन तक काम किया था एक नामांकित सूचि द्वारा स्थाई घोषित कर दिया गया.

यह पहला मौका है जब दैनिक मजदूरों ने अपने संघर्ष से प्रोविडेंट फंड, ई.एस.आई., 20% बोनस, छुट्टी, ग्रेच्युटी और मातृत्व छुट्टी आदि की मांगें जीती है. लेकिन स्थाई सेवा के बावजूद भी मजदूरों का वेतन अभी भी साढ़े छः रुपये प्रति दिन ही है. समझौता अधिकारी और यूनियन की हर कोशिशों के बाद भी प्रबंधक अपनी मनमानी से बाज नहीं आए. स्थाई वेतन मान के लिए मजदूर संघर्षरत हैं.

भूल सुधार

पिछले अंक में 'भेल' कर्मचारियों की हड़ताल की तारीख गलती से आठ की बजाए छः फरवरी छप गई थी.

ग्रामीण असंगठित मजदूरों पर बनी केंद्रीय स्थाई कमेटी की बैठक

ग्रामीण असंगठित मजदूरों पर केंद्रीय स्थाई कमेटी की बैठक 29 जनवरी को नई दिल्ली में हुई. इसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, किसान सभा व मजदूर सभा आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए. आल इंडिया किसान सभा की ओर से कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत व सी. आई. टी. यू. की ओर से कामरेड बालानंदन ने भाग लिया. केंद्रीय श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की.

खेत मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून की जरूरत, ग्रामीण मजदूरों की शिक्षा व संगठन, जंगलों व दूर के इलाकों में ठेका प्रथा की समाप्ति व जंगल मजदूरों की सहकारिताएं बनाने और बंधक मजदूरों की पहचान, छुटकारा व उनके पुर्नवास को मुद्दों पर विचार किया गया.

श्री रवीन्द्र वर्मा ने खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून की जरूरत के बारे में बताया. बातचीत में यह उभर कर आया कि रोजगार की रक्षा काम के घंटे वेतन अदायगी, सुरक्षात्मक कदमों, झगड़े सुलझाने की प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी सहायता आदि के लिए खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए.

कामरेड सुरजीत ने खेत मजदूरों व गरीब किसानों में भूमि के वितरण की महत्ता पर बल दिया. उन्होंने राज्य सरकारों की भूमि सीमा कानून को लागू न करने के लिए आलोचना की. उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़े फालतू भूमि की मात्रा में लगातार कमी दिखा रहें हैं जबकि भूमि वितरण नहीं हुआ है. फालतू भूमि की मात्रा पता लगाने और उसके वितरण के लिए कदम सुझाने के लिए एक कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया. उन्होंने राज्यों में भी केंद्र की तरह स्थाई कमेटियां बनाने का सुझाव दिया.

कामरेड बालानंदन ने खेत मजदूरों को भूमि देने का सुझाव दिया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार केरल सरकार भूस्वामियों द्वारा हेराफेरी को कानूनी पनाह देने के लिए कदम उठा रही है. यह सरकार भूमि उपहार कानून बना रही है जिससे भूस्वामि भूमि सीमा कानून के घेरे में नहीं आ सकेंगे और खेत मजदूर व हरिजन कानूनी तौर से फालतू भूमि पाने से वंचित होंगे. उन्होंने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस जन विरोधी कानून को मान्यता न दें.

खेत मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून के सुझाव को मानते हुए खेत मजदूरों को बेरोजगारी सहायता देने की महत्ता पर जोर दिया और महिला मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून में खास प्रावधान देने का सुझाव दिया. उन्होंने ठेका मजदूर प्रथा को तुरंत खत्म करने की मांग की और कहा कि काम सीधे उसी विभाग द्वारा कराया जाना चाहिए जो मजदूरों को भर्ती करता है. वे सहकारिताएं बनाने के सुझाव से सहमत नहीं थे.

बातचीत से उभरे मुद्दों पर कमेटियां बनाना केन्द्रीय मंत्री ने मान लिया है. सदस्यों के नाम सरकार द्वारा चुके जाएंगे. ये कमेटियां तीन महीनों में अपना काम पूरा करेंगी और इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद स्थाई कमेटी उनको अंतिम रूप देगी.

फार्म 4

1. प्रकाशन स्थान	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	एम. के. पंधे
क्या भारत का नागरिक है	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	×
पता	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम	एम. के. पंधे
क्या भारत का नागरिक है	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	×
पता	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम	एम. के. पंधे
क्या भारत का नागरिक है	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	×
पता	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों.	सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं, एम. के. पंधे, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं :

प्रकाशक के हस्ताक्षर एम. के. पंधे

पुलिस व गुंडों का राज और प्रशासन की खामोशी बर्दाश्त नहीं की जायेगी

कंस्ट्रक्शन कंपनी सिम्पलेक्स कंक्रीट पाइल्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली में अपने कार्यस्थलों पर दिल्ली पुलिस व गुंडों की मदद से आतंक राज कायम किया हुआ है. यह बहुत ही गंभीर मामला बन गया है. यह दमन सिम्पलेक्स मजदूर यूनियन (सीटू) को कुचलने व मजदूरों को प्रबंधकों की तानाशाही स्वीकार करने के लिए किया जा रहा है.

कंपनी के बदनाम प्रबंधकों ने 20 दिसंबर 1978 को ओखला कार्यस्थल से 60 मजदूरों को उन द्वारा किए गए काम का वेतन दिए बिना नौकरी से निकाल दिया था. प्रबंधकों ने रामकृष्णपुरम स्थित कार्यस्थल से अन्य 60 मजदूरों को 3 जनवरी 1979 को निकाल कर काम करने के लिए ठेकेदार नियुक्त किए. और इसी प्रकार बिना वेतन दिए अशोक रोड स्थित कार्यस्थल से भी 50 मजदूर निकाल दिए गए. इन तीनों कार्यस्थलों पर दिल्ली पुलिस ने गुंडों की मदद लेकर प्रबंधकों की सहायता की और मजदूरों के विरोध को कुचलने के लिए 40 यूनियन कार्यकर्त्ताओं को अशोक रोड से व 27 रामकृष्णपुरम से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया. रामकृष्णपुरम कार्यस्थल पर पुलिस ने 15 प्रशिक्षित मजदूरों को निकालने में प्रबंधकों की मदद की. प्रबंधक हर कदम पर मजदूरों के संघर्ष को कुचलने के लिए पुलिस की सहायता ले रहे हैं.

दिल्ली प्रशासन का श्रम विभाग भी सिम्पलेक्स के प्रबंधकों की सहायता कर रहा है और पूरे मामले पर खामोश है. ये सब मामले इस विभाग के सामने ऐसे ही बीच में लटके पड़े हैं और इसने इसके हल के बारे में न ही कोई कदम उठाया है और न ही निकाले गए मजदूरों की नौकरी बहाल करने व सामान्य स्थिति कायम करने की कोशिश की है. दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग की इस भूमिका को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

कामरेड पी. राममूर्ति, महासचिव, सीटू, ने दिल्ली मुख्य कार्यकारिणी पार्षद श्री केदारनाथ साहनी को एक पत्र लिख कर इस मामले की जानकारी दी है. इस पत्र में श्री साहनी से अनुरोध किया गया है कि वे पुलिस को अपनी हद में रहने और इस समस्या का हल जल्दी कराने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें ताकि निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी तुरंत बहाल की जा सके.

5 मार्च को सीटू, एटक, यू. टी. यू. सी., बी. एम. एस. व इंटक द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त बयान में दिल्ली पुलिस की भूमिका की कड़ी निंदा की गई है और पुलिस को सिम्पलेक्स मजदूर आंदोलन से दूर रखने व मजदूरों की तुरंत बहाली की दिल्ली प्रशासन से मांग की गई है. केंद्रीय श्रममंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है.

इसी दौरान प्रबंधकों को मजदूर-विरोधी व दमनात्मक नीतियों के खिलाफ संघर्षरत मजदूरों की सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों व सिम्पलेक्स मजदूरों ने दिल्ली के विभिन्न भागों से डिब्बा लेकर चंदा इकट्ठा किया. लोगों ने धन व अनाज देकर संघर्षरत मजदूरों का हौंसला बढ़ाया स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एस. एफ. आई.) की दिल्ली कमेटी के आह्वान पर इन छात्रों ने इस अभियान में हिस्सा लिया.

जब मियां एस.डी.एम. हो और बीबी मैनेजिंग डायरेक्टर तो . . .

हाफेद स्पिनिंग मिल, हांसी के 1100 मजदूर विकिटमाइजेशन के खिलाफ, 400 रुपये प्रतिमास न्यूनतम वेतन और आवास आदि की सुविधाओं को लेकर 18 फरवरी से शांतिपूर्वक लगातार हड़ताल पर हैं.

लेकिन प्रबंधकों ने धांधली द्वारा 11 मजदूरों को गिरफ्तार करा दिया है. स्थानीय एस. डी. एम. ने गिरफ्तार मजदूरों को जमानत पर छोड़ने से इंकार कर दिया है. उल्लेखनीय है कि हाफेद मिल की मैनेजिंग डायरेक्टर इस एस. डी. एम. की ही पत्नी हैं. ये हड़ताल को तोड़ने की हर कोशिश कर रही हैं.

हिसार डिस्ट्रिक्ट एंप्लाईज कोआर्डिनेशन कमेटी ने एक बयान जारी कर हड़ताली मजदूरों का समर्थन किया है और एस. डी. एम. व मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है. गिरफ्तार मजदूरों को बिना शर्त रिहा करने व उनकी मांगों के स्वीकार किए जाने की भी मांग की गई है.

बंबई में शानदार महिला कर्मचारी सम्मेलन

महाराष्ट्र की महिला कर्मचारियों के 1200 प्रतिनिधियों ने (जिसमें से 350 बंबई से बाहर से आई थीं) 4 मार्च को बंबई में हुए महिला कर्मचारी सम्मेलन में भाग लिया. यह महाराष्ट्र राज्य व बंबई शहर में महिला कर्मचारियों का सबसे बड़ा सम्मेलन था. इसमें केन्द्रीय व राज्य सरकार, म्यूनिसिपैलिटी, ट्रांसपोर्ट व औद्योगिक कर्मचारियों तथा डाक्टरों, नर्सों व अध्यापिकाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. पूरी रिपोर्ट आगामी अंक में दी जाएगी.

औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ देश भर में सम्मेलन

नए औद्योगिक संबंध विधेयक के विरूद्ध राष्ट्रीय प्रचार कमेटी के आह्वान पर देश के विभिन्न भागों में राज्य, जिला व स्थानीय स्तरों पर ट्रेड यूनियन सम्मेलन आयोजित किए गए. देश की सभी ट्रेड यूनियनें अपनी विभिन्न राजनीति के बावजूद एक जुट होकर इस विधेयक का विरोध कर रही हैं. इन सम्मेलनों में देश के लाखों मजदूरों व कर्मचारियों ने भाग लिया और एक सुर में इस विधेयक को वापस लेने की मांग की.

बड़ोदा में 11 फरवरी को विशाल सम्मेलन हुआ जिसमें 7,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जालोर के सम्मेलन में मजदूरों के 2,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. चिकमगलूर जिला में हुए सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में अधिकतम महिलाए थी. रायपुर, कानपुर, बंगलौर, नांगल, कलकत्ता व अन्य स्थानों पर सम्मेलन काफी उत्साहपूर्वक थे. सभी राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार देश में कोई भी ऐसा उद्योग या सार्वजनिक संस्थान नहीं है जिसके मजदूरों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलनों में भाग न लिया हो.

उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर 1978 को दिल्ली में इस मजदूर-विरोधी गैरजनवादी विधेयक के खिलाफ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन हुआ था. जिसमें 7000 से भी ज्यादा डेलिगेटों ने भाग लिया था. 20 नवंबर 1978 को देश के कोने कोने से आए एक लाख से भी ज्यादा श्रमिकों ने दिल्ली में संसद के सामने प्रदर्शन किया था. और 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन को लोक सभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को दिया था. सम्मेलन ने विधेयक के वापस लेने की मांग करते हुए देश को मजदूरों को एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया था.

ई.एस.आई. कर्मचारियों की 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और मजदूरों व कर्मचारियों की अखिल भारतीय संगठनों के हाल ही में हुए का. समर मुखर्जी, एम. पी., की अध्यक्षता में एक सम्मेलन में आल इंडिया ई. एस. आई. सी. एंप्लाईज फेडरेशन के महासचिव ने घोषणा की कि ई.एस. आई. सी. कर्मचारी अपनी लंबे समय से अटकी मांगों पर जोर देने के लिए 3 जुलाई से पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन के लिए स्वतंत्र वेतनमान तय करने और बोनस की अदायगी के प्रति ई. एस. आई. के अधिकारियों व केंद्रीय सरकार के 10,000 कर्मचारियों की पूरे देश में तीन दिन की (सितंबर 26-28, 1978) हड़ताल के बावजूद लगातार कड़े रवैये ने फेडरेशन को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया.

सम्मेलन को विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने और सीटू के सचिव कामरेड एम. के. पंधे ने बधाई दी और उनके संघर्ष का समर्थन करते हुए अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे समझौता वार्ता से इस मामले को हल करने की कोशिश करें.

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर मजदूर वर्ग विरोधी और गैर जनवादी नए औद्योगिक संबंध विधेयक की आलोचना की और सरकार से इसे वापस लेने की जोरदार मांग की गई.

इंटक के तोड़फोड़ के बावजूद डिस्टिलरी श्रमिकों का सफल संघर्ष

मेवाड़ डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स, भूपाल सागर (राजस्थान) के बहादुर मजदूरों के संघर्ष के सामने 9 फरवरी को वहां के मालिक को सीटू से संबंधित शूगर मिल एंड डिस्टिलरी वर्क्स एंप्लाईज यूनियन भूपाल सागर से बातचीत करनी पड़ी और मांगों पर समझौता करते हुए इंटक के नेताओं की राय से मुअत्तल किए गए 16 श्रमिकों को बिना शर्त पूरे वेतन के साथ काम पर वापस लेगा पड़ा. ये श्रमिक अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर पिछली 28 जनवरी से टूल डाउन हड़ताल पर थे. जिस दिन से इन श्रमिकों ने टूल डाउन की घोषणा की थी उसी दिन से इंटक के नेताओं की हालत खराब हो गई थी. ऊपरी तौर पर तो वे श्रमिकों को मांगों का समर्थन कर रहे थे और अंदर ही अंदर संघर्ष को नाकामयाब करने के लिए मालिकों के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे.

इंटक नेताओं ने पहले तो एलान किया था कि वे श्रमिकों की मांगों का समर्थन करते हैं किंतु संघर्ष शुरू होने के पांचवें दिन तक 16 श्रमिकों को मुअत्तल करवा कर आतंकित करने लगे कि यदि बातचीत इंटक यूनियन के साथ करने के लिए श्रमिक लिखकर दे दें तो सारी दमन की कार्यवाही वापस ले ली जाएगी और मांगों पर विचार किया जाएगा. 1973 में इंटक के नेताओं से चोट खाए डिस्टिलरी के श्रमिक इंटक के नेताओं की इस चाल को समझ गए और उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और एकताबद्ध संघर्ष पर कायम रहे.

बारह फ़रवरी को इंटक के नेताओं की मालिक परस्ती नीतियों व पिछले 22 वर्षों से चली आ रही आतंक भरी कार्यवाहियों से राहत पाए डिस्टिलरी के श्रमिकों ने अपनी जीत को मनाया जिसमें शूगर मिल के कई श्रमिकों ने भी हिस्सा लिया. श्रमिकों ने मिल कालोनी और भूपालसागर गांव में प्रदर्शन किया और मिल गेट पर व गांव के चौराहे पर आम सभा की. इस सभा में कामरेड भवर लाल बापना व कामरेड मोहनलाल मेनारिया के अलावा कई कार्यकर्त्ताओं ने भाषण दिए.

कोयला खदान मजदूर

[पृष्ठ एक से आगे]

फैसला करने के लिए सी. आई. एल. के अध्यक्ष को तार भी भेजा जाएगा समूचे देश में 15 और 16 मार्च को खदानों के मुहानों पर व दफ्तरों पर मार्च के अन्त से पहले फैसले की मांग के लिए प्रदर्शन और प्रस्ताव पारित किए जाएंगे.

मार्च के अंत से पहले समझौते के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनें पूरी कोशिश करेंगी. लेकिन यदि प्रबधंकों ने अपना मौजूदा रूख अपनाए रखा तो केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के पास कोयला खदान मजदूरों की जायज और जरूरी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का सहारा लेने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं होगा.

कोयला खदान मजदूरों को भी यह समझना होगा कि बिना संघर्ष के प्रबंधक उनकी जायज मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे. वेतन समझौता वार्ता का नतीजा केवल उनके संघर्ष के आधार पर ही निकलेगा.

सीटू के राज्य / जिला सम्मेलन

दिल्ली
31 मार्च-1 अप्रैल कर्मपुरा, नई दिल्ली

हरयाणा
24-25 मार्च हिसार

फरीदाबाद
18 मार्च पुराना फरीदाबाद

दिल्ली रीजन महिला-कर्मचारी सम्मेलन

25 मार्च शक्ति नगर, दिल्ली

संपादक मंडल

बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)
पी राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम के पंधे (संपादक)

छापाखाना मजदूर

[पृष्ठ तीन से आगे]

रुपये और 50 या उससे अधिक है तो 50 रूपये मासिक वेतन वृद्धि मिलेगी. अंतिम वेतन वृद्धि समझौता होने पर तय होगी.

यह समझौता पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की सिफारिशों के आधार पर हुआ. छोटे और मझौले छापाखानों के मालिकों ने ऊपर दी गई वेतन वृद्धि को देना स्वीकार कर लिया है. ऐसे सभी छापाखानों में हड़ताल वापस ले ली गई है.

परंतु बड़े छापाखानों ने जिनमें 50 से अधिक मजदूर काम करते हैं यह सिफारिश मानने से इंकार कर दिया है और इसीलिए इनमें अभी हड़ताल जारी है. इनके मालिकों को यह सिफारिश माननी पड़ेगी और अंतरिम वेतन वृद्धि देनी होगी. हड़ताली मजदूर इसके स्वीकार कर लिए जाने तक हड़ताल जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं.

पश्चिम बंगाल के छापाखानों के लगभग 90% मजदूरों के लिए हुए इस समझौते से उनकी विजय हुई है. यह विजय पश्चिम बंगाल के छापाखाना उद्योग में ट्रेड यूनियन आंदोलन को और मजबूत बनाएगी.

दक्षिण रेलवे मजदूरों का 23वां सम्मेलन

दक्षिण रेलवे एंप्लाईज यूनियन का 23 वां सालाना सम्मेलन 17-18 फरवरी को गोल्डनराक, तिरूचिरापल्ली, में हुआ जिसमें 3,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यूनियन के अध्यक्ष का. नांबियार ने लाल झंडा फहराया व सीटू के सचिव कामरेड नृसिह चक्रवर्ती ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. खुले अधिवेशन में सीटू के महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति के अलावा कई दूसरी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाषण दिए. कामरेड नांबियार व का. रामदास यूनियन के क्रमश: अध्यक्ष व महासचिव चुने गए हैं.

मंहगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1978 अक्तू.	नव.	दिस.
बिहार			
जमशेदपुर	334	332	325
झारिया	331	330	321
कोडर्मा	353	351	343
मोंघाइर	365	364	348
नोआमुंडी	327	309	315
गुजरात			
अहमदाबाद	328	325	323
भाव नगर	344	347	341
हरयाणा			
यमुना नगर	369	364	359
जम्म व काश्मीर			
श्रीनगर	338	338	335
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	366	364	359
भोपाल	345	340	341
ग्वालियर	358	352	347
इंदौर	362	358	357
महाराष्ट्र			
बंबई	326	327	326
नागपुर	335	331	329
शोलापुर	353	355	353
पंजाब			
अमृतसर	354	353	350
राजस्थान			
अजमेर	344	345	342
जयपुर	367	363	358
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	352	346	339
सहारनपुर	356	353	347
वाराणसी	406	405	398
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	359	354	347
कलकत्ता	353	350	338
दार्जीलिंग	287	285	280
हावड़ा	341	334	328
जलपाइगुरी	290	289	275
रानीगंज	345	336	329
दिल्ली	374	368	369
भारत	340	340	335

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज़ के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1, लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित (फोन 384071)